

R-478/2016/14-3

सं. ६४
का विभाग

विषय : - सं. ६४/१९७७५/१५ - श्री जगदीश
प्रसाद जी के वि. शरणन स. १९७७

सं. ६४/१९७७५/१५-३ A-11C

वि. शरणन स. १९७७५/१५-३

कृपया विचारणीय कर का अर्थ में
हैं। वि. शरणन स. १९७७५/१५-३
प्रकार में विचारणीय कर का अर्थ में
किया गया है। प्रकार में प्रचार
विचारणीय कर का अर्थ में प्रचार
प्रचार प्रचार प्रचार प्रचार
है। वि. शरणन स. १९७७५/१५-३

Agri/1955
19/2/2016

१८/२/१६

०४०/

कृपया
प्रमाण से प्रचारणीय कर का अर्थ में
को नियुक्त करने के प्रमाण
मार्ग का कर करें।

१८-२-१६

५७३२/१८/१५-३
१८/२/१६

M.D. (नती बॉर्ड)

१८/२

वि. शरणन स. १९७७५/१५-३

२३-२-१६

(१७-७-००)

476/2016/14-3 डी 5/42/6

विषय :- स्था. क्र. 17775/15 कृषि तथा वन का विभाग

उत्तर दि. १४. १२. १९४७

Wicks/alt/Reg./JDK/J273
16.23-2.16

कृपया अवर सचिव म.प्र. शासन, कृषि विभाग द्वारा प्राप्त नोटशीट कमांक-यू.ओ. नं०-32/2016/14-3 दिनांक 18.02.2016 द्वारा प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी.-19775/2015 श्री जगदीश प्रसाद गौड़ सचिव, ब.मंडी खुरई जिला सागर विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव चाहा गया है। जिसके लिए कार्यालयीन पत्र कमांक /बोर्ड /विधि/के-10 /सा०/15/264 दिनांक 23.2.2016 द्वारा प्रतिवादी कमांक एक की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु संयुक्त संचालक/उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, सागर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश प्रारूप नस्ती में संलग्न कर एकल नस्ती मूलतः प्रेषित है।

31

कृपया उक्त प्रतिवादी की ओर से प्रतिरक्षण हेतु भी महाधिवक्ता कार्यालय को विधि विभाग से निर्देश जारी कराये जाने का निवेदन किया जाना उचित होगा।

५४
23216.
संयुक्त संचालक,

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.

ਸੰਤੀ ਬਾਰਡ ਓ ਫੁਲਾਭਾਤੁਲਾਦ ਸੁਖਦੀ ਸ਼ੇਖਰ
 ਮਨੁਖੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਮਨੁਖੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਮਨੁਖੀ ਸ਼ਾਇਰਾ
 ਮਨੁਖੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਮਨੁਖੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਮਨੁਖੀ ਸ਼ਾਇਰਾ

~~USP~~
~~DS(C)~~

२२ 'अ' अ नुमोदनाय प्रत्यु

44.24 21740

Nitish mistry/GOV.noobsheet

अ यथात्मजावि

122 29/2/16

US(S.D.) 2503

Admitt
1/3/16

 $\frac{12}{2-3-1-1}$

डी- 51421 2016/CA-3
476/2016/14-3

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :- ला. डी. 1977515 को जमाने के लिये
गोरे व. शासन के अन्तर्गत
रखे जाने के लिये

5-3-
म. 3-16
का विभाग

20/3/16

अ. 35.
USA,
503

2-3-

3/3

4-3-16

No. 43/AN/PS/FWAD
Date 11/3/16

540-41
रजिस्ट्रार
दिनांक 4-3-16
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
(साख-3), भोपाल, मध्य प्रदेश

प्रभारित अधिकारी के विरुद्ध अर्द्धांश
प्रतिरक्षण आदेश हेतु प्रकरण विधि-विभाग की
अंतिम किया जावा प्रस्तावित है।

20/3/16

अ. 35.
प्रतिरक्षण आदेश हेतु
नस्ती विधि-विभाग को
पंक्ति करवा पाएंगे।

5-3-16

7677
C.P.

① 5(4)
अर प्रतिरक्षण हेतु प्रकरण
विधि विभाग की अंतिम करवा
पाएंगे।

प्रमुख सचिव
प्रमुख सचिव (विधि)

प्रतिरक्षण आदेश हेतु नस्ती 11/3/16
अंतिम

डा. राजेश कुमार
प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल

399
29-2-16
11-3-16

आ. 35

विषय : मा. क्र. १५७५/१५ श्री जगदीश
प्रसाद गोंड वि. शासन एवं अन्य।

प्रतिष्ठाता आदेश जारी कर प्रति
नस्ती पर रखी है।

(भूमि तान मिश्र)
भूमि सचिव
विकास विभाग।



MADHYA PRADESH

Phone { Office : 2678740
2678185
Fax : 2621216

D. O. No.

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL
MADHYA PRADESH, JABALPUR
JABALPUR

FAX

Dated

01/03/2016

To,

The Principal Secretary
Department of Farmer Welfare and Agriculture
Development, Vallabh Bhawan, Bhopal, M.P.

Sub: - W.P. No. 19775/2015 - Jagdish Prasad Gaur V/S State of M.P. & others.

The aforesaid petition has been filed by the petitioner Jagdish Prasad Gaur challenging order dated 9/10/2015, whereby the State Government has granted sanction for prosecution of petitioner. The sole contention, which is raised by the petitioner is that, he is not an employee of the State Government, but is the Member of State Mandi Service as per M.P. Krishi Upaj Mandi Adhiniyam. The matter was listed on 26/2/2016 and the Hon'ble Court was has granted 4 weeks time to file return.

Please appoint O.I.C., who is well conversant with the facts and circumstances of the case to contact the Office of Advocate General along with complete records for filing return in the matter within the time granted by the Hon'ble Court.

(DEEPAK AWASTHI)
GOVERNMENT ADVOCATE

Copy to :- The Joint Commissioner, Litigation, Jabalpur (M.P.)

By order
4-3
DSC(W)
जवाहरवा अधिक
दे तकाक कुपवा
पुरिष्ठिक २२

13/3/16

V/S (S.D.)
Mandi Board
से O.I.C. को

42-7149
5/1/16
H.O. 1/1/16
03/3/16

SO 3

तकान
हुत जोर है मही


3/3/16

1/8/16

GOVERNMENT ADVOCATE



MADE BY PHOTOCOPY



OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL
JABALPUR

1338

25/01/2016

To,

The Principal Secretary
Department of Farmer Welfare and Agriculture
Development, Vallabh Bhawan, Bhopal, M.P.

Sub: - W.P. No. 19775/2015 - Jagdish Prasad Gaur V/S State of M.P. & others.

The aforesaid petition has been filed challenging order dated 9/10/2015, whereby the State Government has granted sanction for prosecution of petitioner. The sole contention, which is raised by the petitioner is that, he is not an employee of the State Government, but is the Member of State Mandi Service as per M.P. Krishi Upaj Mandi Adhiniyam. The Hon'ble Court was pleased to issue notice and directed the State Government to file return in the matter.

Kindly appoint some responsible officer as O.I.C., who is well conversant with the facts and circumstances of the case to contact the Office of Advocate General along with complete records of the proceedings, wherein sanction has been granted along with the explanation whether the contention of the petitioner regarding jurisdiction is proper or not.

Looking to the issue raised, it is expected that, the State Government will act promptly.

(DEEPAK AWASTHI)
GOVERNMENT ADVOCATE

Copy to :- The Joint Commissioner, Litigation, Jabalpur (M.P.)

No. 511/IPS/FWAD
Date 11/02/2016

VS (S.D.)
Shri 11/1/16
11/2

21/1/16

15-2-16

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / जे-5142806/14-3
//आदेश//

भोपाल दिनांक 4-3-16

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम) तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0पी0-19775 /2015(एस) जगदीश प्रसाद गौड़, सचिव-ब, मण्डी समिति खुरई जिला-सागर विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक/उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय, सागर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
2. समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा।
6. शासकीय अधिवक्ता की सहायता।
7. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना ————— प्रस्तावित है, और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
8. मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रक्रम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
9. जब भी कोई आदेश/निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना।
10. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना।
11. यह देखना है कि आवेदन करने में ताकि प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

12. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।

13. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बावत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित/छुपी हुई नहीं रह जाये।

14. प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

15. प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अवर सचिव)

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विभाग, मंत्रालय भोपाल

भोपाल दिनांक 4.3.16

कमांक/ 51/42/2016/143
प्रतिलिपि :-

1. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रबन्ध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संबंधित जिलाध्यक्ष, सागर मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक/उपसंचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय सागर म.प्र. प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे। मामले की सुनवाई तारीख हेतु नियत की गई है।

(अवर सचिव)

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विभाग, मंत्रालय भोपाल